

2-3-22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलार्थी श्री राजेश केशव रेस्पोडेंट सं। के अभिभाषक श्री ओम प्रकाश पाण्डेय के उपस्थित। अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रकरण से हिरायत पैरवी नहीं होने (No instruction) लीड किया है। प्रकरण में अपीलार्थी के नाम से रुक-रुक कर आवाज लगाई गयी किन्तु वे अनुपस्थित है। अतः यह अपील अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा हिरायत पैरवी नहीं होने (No instruction) लीड करने तथा अपीलार्थी से के अनुपस्थित रहने के कारण यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ-यायालय का रिपोर्ट भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली का उतर तुरंत तत्कालीन दायित्व दफ्तर हो। आदेश सुपुले-यायालय में सुनाया गया।

No instruction
~~noted~~
तीवरे

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर